



Tue - 06 Oct- 2026	Year - 01	Issue 194	Page - 01	Rs. - 5	www.azadvaani.com
--------------------	-----------	-----------	-----------	---------	-------------------

**‘बिल लाओ इनाम पाओ’ योजना
एक साल बढ़ी, 7.31 करोड़ रुपये
की वसूली**



चंडीगढ़, 6 अक्टूबर। पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि राज्य सरकार ने ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ यानी ‘मेरा बिल योजना’ को एक और वर्ष के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है। योजना के तहत अब तक 9.40 करोड़ रुपये के जुर्माने के नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें से 7.31 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। इसके अलावा 135 नए डीलरों को पंजीकृत किया गया है।

चीमा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान निकाले गए 4,058 ड्रा में सत्यापन के बाद 3,548 विजेताओं को 2.30 करोड़ रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि वितरित की गई। इनमें 2025-26 के दौरान 3,080 विजेताओं को 1,98,15,980 रुपये और 2026-27 में अब तक 32,22,090 रुपये के पुरस्कार दिए गए हैं।

**45 हजार से अधिक घरों के
करीब 3 लाख लोगों को मिलेगा
सीधा लाभ**



चंडीगढ़, 6 अक्टूबर। पंजाब के जल आपूर्ति एवं सैनित्शन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने 266.95 करोड़ रुपये की लागत वाली नहर आधारित बहुउद्देशीय जलापूर्ति योजना लोगों को समर्पित की। इस परियोजना से सीमावर्ती अमृतसर जिले के अजनाला, मजीठा, हरशा छीना और चौगावां ब्लॉकों के 167 गांवों में 45,343 से अधिक घरों के करीब 2.86 लाख ग्रामीणों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होगा।

मंत्री ने बताया कि अपर बारी दोआब नहर की लाहौर ब्रांच पर कंदोवाली और मज्जपुरा में 39 एमएलडी क्षमता वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं। करीब 285.97 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन और 20 पानी की टंकियों के माध्यम से उपचारित नहर का पानी गांवों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना का प्रमुख उद्देश्य भूजल पर निर्भरता कम करना और लोगों को लगातार शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना है। इससे पानी से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने के साथ ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

श्री आनंदपुर साहिब मामले में SIT जांच, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई: CM मान



चंडीगढ़, 6 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को ‘धरम युद्ध मोर्चा’ के नेता गुरप्रीत सिंह खालसा के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि श्री आनंदपुर साहिब में हुई घटना की निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन जांच करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की जांच के लिए तुरंत विशेष जांच टीम (SIT) गठित की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष एसजीपीसी सदस्य अमरजीत सिंह चावला के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में भी SIT जांच की मांग रखी। इससे पहले विभिन्न सिख संस्थाओं की ओर से भी मुख्यमंत्री से इस मामले की गहन जांच के लिए SIT गठित करने का आग्रह किया गया था।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि बैठक में सिख पंथ से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सरकार लंबे समय से लंबित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी

(SGPC) के चुनाव जल्द करवाने के लिए गंभीर है और इस दिशा में अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी वैध कदम उठाए जाएंगे।

श्री आनंदपुर साहिब की घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच समयबद्ध तरीके से पूरी करने का प्रयास किया जाएगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कानून अपना काम करेगा और किसी भी व्यक्ति को अपने पद, प्रभाव या किसी अन्य कारण से न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि SIT के गठन से मामले के सभी पहलुओं की गहराई से जांच सुनिश्चित होगी और जांच को जल्द पूरा करने में मदद मिलेगी।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं

के खिलाफ ऐसे गंभीर अपराधों में किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जा सकती और दोषी को कानून के तहत निर्धारित कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

SGPC चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चुनावों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी वैध प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि सिख पंथ की ऐतिहासिक और समृद्ध विरासत को देखते हुए इससे जुड़े संस्थागत और सामुदायिक मुद्दों का समाधान संवेदनशीलता, गंभीरता और संवैधानिक एवं कानूनी प्रक्रियाओं के अनुरूप किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पंजाब सरकार सिख पंथ से जुड़े मुद्दों के समयबद्ध समाधान, निष्पक्ष जांच और न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी भी मामले में राजनीतिक या सामाजिक दबाव के बजाय कानून और न्याय के सिद्धांतों के अनुसार कार्रवाई करना है।

मंडियों में सूखी फसल लाएं किसान, पंजाब से बाहर से धान लाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

चंडीगढ़, 6 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार धान खरीद सीजन 2026-27 को सुचारू और निर्बाध बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की ओर से किसानों, आढ़तियों और मजदूरों को मंडियों में किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अब तक 19,222 किसानों के खातों में करीब 800 करोड़ रुपये की राशि जमा करवाई जा चुकी है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारूचक ने आज एक बैठक के दौरान बताया कि उन्होंने राज्य के 10 जिलों—गुरदासपुर, पटियाला, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, जालंधर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, फतेहगढ़ साहिब और कपूरथला—की विभिन्न मंडियों का व्यक्तिगत दौरा कर खरीद प्रबंधों का जायजा लिया है।

मंत्री ने कहा कि मंडियों के दौरे के दौरान किसी किसान या खरीद प्रक्रिया से जुड़े किसी अन्य पक्ष की ओर से कोई शिकायत सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को निर्धारित 24 घंटे की समय-सीमा से पहले ही भुगतान सुनिश्चित करने के लिए लगातार

काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य की मंडियों में बाहरी राज्यों से धान की आवक रोकने के लिए सभी अंतरराज्यीय नाकों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि जलालाबाद में आज हरियाणा से कथित तौर पर धान लाने वाले एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। मामले की विभागीय जांच जारी है और पंजाब में बाहर से धान लाकर सरकारी खरीद व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कटारूचक ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की खरीद प्रक्रिया को तेज गति से संचालित करने के लिए सराहना की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद की रफ्तार में किसी भी स्तर पर कमी नहीं आनी चाहिए और किसानों को समय पर भुगतान समेत सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं।

मंत्री ने किसानों से अपील की कि वे मंडियों में केवल सूखी फसल ही लेकर आए, ताकि खरीद प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और मंडियों में उन्हें किसी प्रकार की

परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

गौरतलब है कि पंजाब को केंद्रीय पूल के लिए 180 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य दिया गया है। इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। खरीद व्यवस्था के लिए विभाग ने 5.09 लाख बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित की है। वहीं अक्टूबर माह के लिए 42,786.68 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट (CCL) भी प्राप्त हो चुकी है।

इस अवसर पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख सचिव राहुल तिवारी, विशेष सचिव कमल कुमार गर्ग, अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंजुमन भास्कर और अजयवीर सिंह सराओ, उप निदेशक खाद्य (खरीद) गीता बिशंभू तथा जनरल मैनेजर (वित्त) सर्वेश कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।



**कुल 1.25 लाख रुपये की रिश्तत
मांगी थी, ट्रांसफर रुकवाने के
बदले पहली किस्त लेते पकड़ा**



चंडीगढ़, 6 अक्टूबर। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कपूरथला में जल सप्लाई एवं सैनित्शन विभाग के सब-डिविजनल इंजीनियर (S D E) अगमजोत सिंह को 30 हजार रुपये की रिश्तत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी कुल 1.25 लाख रुपये की रिश्तत मांग रहा था और यह रकम किश्तों में दी जानी थी।

विजिलेंस ब्यूरो के आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई जल सप्लाई एवं सैनित्शन विभाग, सब-डिविजन नंबर-2, कपूरथला में तैनात एक सब-डिविजनल क्लर्क की शिकायत के आधार पर की गई।

शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी SDE ने 5 अक्टूबर 2026 को उसका तबादला कपूरथला जिले के गांव चक्को की स्थित जल सप्लाई योजना में कर दिया था। नई तैनाती उसके घर से काफी दूर थी। इस कारण उसने अगमजोत सिंह से अपना तबादला रद्द करने अथवा रोकने का मौखिक अनुरोध किया।

इसके बाद शिकायतकर्ता के सहकर्मी फिटर हेल्पर अमरिंदर सिंह ने उसे बताया कि तबादला रुकवाने के बदले SDE द्वारा रिश्तत की मांग की जा रही है। अमरिंदर सिंह ने फोन पर अगमजोत सिंह से संपर्क किया, जिस दौरान आरोपी ने तबादला रोकने के लिए 1.25 लाख रुपये की रिश्तत मांगी। यह रकम अलग-अलग किश्तों में देने की बात कही गई। रिश्तत की मांग से संबंधित बातचीत को अमरिंदर सिंह ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया।

रिश्तत देने के इच्छुक नहीं होने पर शिकायतकर्ता ने मामले की सूचना विजिलेंस ब्यूरो रेंज जालंधर को दी। शिकायत की प्राथमिक जांच के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया। कार्रवाई के दौरान SDE अगमजोत सिंह को शिकायतकर्ता से 30 हजार रुपये की रिश्तत की पहली किश्त लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया।

यह कार्रवाई दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में की गई। विजिलेंस टीम ने आरोपी के कब्जे से रिश्तत की रकम के रूप में 30 हजार रुपये की संदिग्ध मुद्रा भी बरामद की है।

SquareNet
Innovation & Excellence

Advertisement

Are you looking for a reliable EMAIL SERVICE PROVIDER?

Choose the best suitable plan for your business from **SquareNet**

Secure & Reliable

Professional Email

Cloud Integration

24/7 Expert Support

Scalable for Every Business

Empower Your Business with Secure, Professional & Scalable Email Solutions

SQUARENET INDIA PRIVATE LIMITED
C-6, Sebiz Square, IT Park, Sector 67,
Mohali 160062, Punjab India

www.squarenetindia.com

mail@squarenetsolutions.com

+91-904-101-2541
[PRI LINE]

Visit Us: www.azadvaani.com

For Enquiry Call: +91-90414-88440

पंचकूला के पार्कों में बच्चों के खेलने पर रोक का मुद्दा गरमाया, रेजिडेंट्स काउंसिल ने जताई चिंता



पंचकूला, 6 अक्टूबर। पंचकूला के सार्वजनिक पार्कों में बच्चों को खेलने से रोकने, डांटने और कथित तौर पर डराने-धमकाने के मामलों को लेकर पंचकूला रेजिडेंट्स वेलफेयर काउंसिल ने गंभीर चिंता जताई है। काउंसिल ने कहा कि सार्वजनिक पार्क समाज के सभी वर्गों और आयु समूहों के लिए होते हैं तथा बच्चों को भी इन स्थानों पर सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में खेलने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।

सेक्टर-1 स्थित रेड बिशप होटल में काउंसिल के अध्यक्ष रणधीर सिंह बध्दान, एडवोकेट की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बच्चों के खेलने के अधिकार, पार्कों में उनके लिए सुरक्षित वातावरण और बच्चों तथा अन्य पार्क उपयोगकर्ताओं के बीच संभावित विवादों के समाधान पर विचार-विमर्श किया गया।

काउंसिल ने कहा कि वर्तमान समय में बच्चे मोबाइल फोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर अधिक समय बिता रहे हैं। ऐसे में उनके शारीरिक व्यायाम, मानसिक विकास और सामाजिक मेल-जोल के लिए सार्वजनिक पार्कों में खेलना महत्वपूर्ण है। बच्चों को पार्कों में परेशानी या व्यवधान के रूप में देखने के बजाय उनके लिए व्यवस्थित और सुरक्षित खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

काउंसिल के अनुसार, छोटे पार्कों में सीमित स्थान को देखते हुए दौड़ने, गेंद खेलने और अन्य सुरक्षित एवं आयु-उपयुक्त गतिविधियों के लिए अलग क्षेत्र या निर्धारित समय तय किया जा सकता है। इससे बच्चों के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और अन्य पार्क उपयोगकर्ताओं की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा सकेगा।

बैठक में बच्चों के साथ कथित मारपीट, डराने-धमकाने, अभद्र भाषा या अपमानजनक व्यवहार की शिकायतों पर भी चिंता व्यक्त की गई। काउंसिल ने मांग की कि ऐसी शिकायतों की निष्पक्ष जांच हो और यदि किसी व्यक्ति का गलत व्यवहार सामने आता है तो नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाए। साथ ही बच्चों को भी पार्कों के नियमों और अन्य लोगों की सुविधा का सम्मान करने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए।

काउंसिल ने नगर निगम और संबंधित वार्ड पार्षदों से पार्कों में बच्चों के लिए अलग खेल क्षेत्र विकसित करने अथवा उचित खेल समय निर्धारित करने की मांग की। इसके साथ ही पार्कों में स्पष्ट सूचना-पट्ट, बुनियादी खेल सुविधाएं और आवश्यक दिशा-निर्देश उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

बैठक में पार्कों के नियमित निरीक्षण और प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था की आवश्यकता भी उठाई गई। काउंसिल का कहना है कि ऐसी व्यवस्था होने से बच्चों और अन्य पार्क उपयोगकर्ताओं के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का समय पर और निष्पक्ष समाधान किया जा सकेगा।

काउंसिल ने निर्णय लिया कि इस मुद्दे को हरियाणा के मुख्य सचिव, डीजीपी, उपायुक्तों, नगर निगम एवं नगर निकायों, पुलिस तथा बाल कल्याण अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा। काउंसिल ने पूरे प्रदेश में बच्चों के अनुकूल पार्क विकसित करने और उनके सुरक्षित एवं संतुलित उपयोग के लिए उचित दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की।

काउंसिल अध्यक्ष रणधीर सिंह बध्दान ने कहा कि बच्चे पार्कों में कोई परेशानी या व्यवधान नहीं, बल्कि समाज और देश का भविष्य हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक पार्कों में बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और अन्य निवासियों के लिए सुरक्षित, संतुलित और समावेशी वातावरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बैठक में फाइनैस सेक्रेटरी रवि कांत, आर.सी. शावनी, प्रेस सेक्रेटरी डॉ. पृथ्वी चंद्र शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एस.एस. गडगला, राजीव भाटिया, मीडिया सलाहकार अशोक नरंग, उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार बैरागी, अश्वनी गुप्ता और प्रकाश माना सहित काउंसिल के अन्य सदस्य एवं शुभचिंतक मौजूद रहे।

ISB के 25 साल पूरे, हर साल 250 स्कॉलरशिप और नेशनल रिसर्च प्लेटफॉर्म की घोषणा



मोहाली। फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल एमबीए रैंकिंग्स 2026 में भारत में प्रथम और दुनिया में 12वें स्थान पर रहे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) ने अपनी 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर शिक्षा, रिसर्च और फैकल्टी डेवलपमेंट से जुड़ी कई दीर्घकालीन पहलों की घोषणा की है। ISB@25 के तहत शुरू की जा रही इन पहलों का उद्देश्य मैनेजमेंट शिक्षा को अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाने के साथ भारत में रिसर्च और शिक्षण क्षमता को मजबूत करना है।

ISB25 स्कॉलर्स प्रोग्राम के तहत हर साल 250 छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। ये स्कॉलरशिप संस्थान के प्रमुख पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट (PGP) और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट फॉर यंग लीडर्स (PGP YL) के विद्यार्थियों के लिए होंगी। योग्यता और आर्थिक जरूरत के आधार पर छात्रों को फीस में 100%, 50%, 30% और 25% तक की छूट मिलेगी। इसका उद्देश्य विभिन्न आर्थिक, भौगोलिक और पेशेवर पृष्ठभूमि से आने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को विश्वस्तरीय मैनेजमेंट शिक्षा का अवसर देना है।

ISB इसके साथ ही ISB India Research Commons नाम से राष्ट्रीय स्तर का रिसर्च प्लेटफॉर्म शुरू करेगा। इसके जरिए देशभर के शोधकर्ताओं और स्कॉलर्स को

चुनिंदा डेटा सेट, रिसर्च टूल्स, रिसर्च मेथडोलॉजी से जुड़े संसाधन और एआई आधारित रिसर्च सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे भारत में मैनेजमेंट और बिजनेस रिसर्च को अधिक व्यापक और सहयोगात्मक बनाने में मदद मिलेगी।

संस्थान National Faculty Development Programme भी शुरू करेगा। इसके माध्यम से देशभर के मैनेजमेंट शिक्षण संस्थानों के साथ आधुनिक शिक्षण पद्धतियां, क्लासरूम में पढ़ाने के प्रभावी तरीके और टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा के अनुभव साझा किए जाएंगे। ISB का लक्ष्य है कि पिछले 25 वर्षों में विकसित उसकी शैक्षणिक और संस्थागत क्षमताओं का लाभ देश के व्यापक उच्च शिक्षा क्षेत्र तक पहुंचे।

ISB के डीन प्रोफेसर मदन पिल्लुतला ने कहा कि ISB@25 केवल संस्थान के 25 वर्षों के सफर का जश्न नहीं, बल्कि भविष्य के लिए अपनी प्रतिबद्धता तय करने का अवसर भी है। उन्होंने कहा कि बेहतर शिक्षा को अधिक छात्रों तक पहुंचाना, ज्ञान को अधिक लोगों के साथ साझा करना और देशभर के संस्थानों एवं स्कॉलर्स के लिए रिसर्च को उपयोगी बनाना संस्थान की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं।

ISB ने बदलती जरूरतों के अनुरूप हाल के वर्षों में कई

नई पहल शुरू की हैं। 2025 में Post Graduate Programme in Management for Young Leaders (PGP YL) शुरू किया गया, जिसके पहले बैच में 130 छात्रों ने प्रवेश लिया। इनमें एक-तिहाई से अधिक छात्रों को फीस में छूट दी गई। इसी वर्ष ISB Discover डिजिटल नॉलेज प्लेटफॉर्म शुरू किया गया, जिसके माध्यम से ISB के प्रोफेसरों के रिसर्च को नीति-निर्माताओं, बिजनेस लीडर्स और आम लोगों के लिए सरल भाषा में उपलब्ध कराया जाता है।

संस्थान ने अपने प्रमुख PGP कार्यक्रम की भी व्यापक समीक्षा की है। पूर्व छात्रों, भर्ती करने वाली कंपनियों और उद्योग विशेषज्ञों से चर्चा के बाद कार्यक्रम में अधिक लचीलापन, छात्रों की जरूरत के अनुसार शिक्षा के विकल्प और बदलते रोजगार बाजार के साथ बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया है।

2001 में स्थापित ISB आज 65 से अधिक देशों में 20,000 से ज्यादा पूर्व छात्रों वाला प्रमुख बिजनेस स्कूल बन चुका है। ISB का PGP वर्तमान में भारत में पहले और एशिया में दूसरे स्थान पर है। फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2026 के अनुसार, कोर्स पूरा करने से पहले और बाद में वेतन वृद्धि के मामले में ISB के ग्रेजुएट्स दुनिया में पहले स्थान पर रहे हैं।

हरियाणा में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अब नहीं होगी ढिलाई, लागू हुआ नेक्स्ट जेन ई-चालान सिस्टम

चंडीगढ़। हरियाणा में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर अब कार्रवाई पहले के मुकाबले ज्यादा तेज, पारदर्शी और जवाबदेह होगी। हरियाणा पुलिस ने प्रदेशभर में नेक्स्ट जेन ई-चालान सिस्टम लागू कर दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़ी कार्रवाई को डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

उल्लंघन के 3 दिन के भीतर नोटिस, 45 दिन में चालान स्वीकार या चुनौती देने का मौका; शिकायतों का 30 दिन में होगा निस्तारण

नई व्यवस्था के तहत किसी वाहन चालक द्वारा ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किए जाने के बाद संबंधित नोटिस अधिकतम 3 दिन के भीतर भेजा जाएगा। इसके बाद वाहन चालक को चालान को स्वीकार करने अथवा उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कर उसे चुनौती देने के लिए 45 दिन का समय दिया जाएगा। इससे वाहन चालकों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने और निर्धारित प्रक्रिया के तहत शिकायत दर्ज कराने का पर्याप्त अवसर मिलेगा।

पुलिस के अनुसार, यदि वाहन चालक निर्धारित समय सीमा के भीतर चालान के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो चालान को स्वतः स्वीकार किया हुआ माना जाएगा। इससे लंबे समय तक लंबित रहने वाले चालानों की संख्या को कम करने और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

नई ई-चालान व्यवस्था में शिकायतों के निस्तारण को

लेकर भी स्पष्ट समय सीमा तय की गई है। चालान के खिलाफ वाहन चालक द्वारा दर्ज की गई शिकायत का 30 दिन के भीतर निस्तारण करना अनिवार्य होगा। इससे शिकायतों को लंबे समय तक लंबित रखने की संभावना कम होगी और वाहन चालकों को समय पर निर्णय प्राप्त हो सकेगा।

यदि वाहन चालक की शिकायत खारिज हो जाती है, तो उसे भी आगे कानूनी प्रक्रिया अपनाने का अवसर मिलेगा। ऐसी स्थिति में वाहन चालक चालान राशि का 50 प्रतिशत जमा कर अदालत में चालान को चुनौती दे सकेगा। इस प्रावधान से एक ओर डिजिटल व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित होगी, वहीं दूसरी ओर वाहन चालकों के लिए न्यायिक विकल्प भी खुला रहेगा।

हरियाणा पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि लंबित चालानों को गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसे मामलों में वाहन के रजिस्ट्रेशन तथा ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कुछ कार्यों पर रोक लगाए जाने की कार्रवाई की जा सकती है। इसका उद्देश्य वाहन चालकों को समय पर चालान का निपटारा करने के लिए प्रेरित करना और नियमों के पालन को मजबूत बनाना है।

नई डिजिटल व्यवस्था को सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन से जोड़ते हुए हरियाणा पुलिस अब तकनीक और डेटा के अधिक प्रभावी इस्तेमाल पर भी जोर दे रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ट्रैफिक से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण कर उन स्थानों और कारणों की पहचान की जाए, जहां बार-बार जाम या सड़क हादसे की स्थिति पैदा होती है।

डीजीपी अजय सिंघल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तकनीक, डेटा और प्रिवेंटिव पुलिसिंग के माध्यम से

ट्रैफिक जाम तथा सड़क हादसों की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसका उद्देश्य केवल नियम तोड़ने के बाद चालान करना नहीं, बल्कि हादसों और यातायात संबंधी समस्याओं को पहले से पहचानकर उनकी रोकथाम करना भी है।

इसके साथ ही हरियाणा में प्रदूषण नियंत्रण और पुराने वाहनों को सड़क से हटाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 27 वाहन स्कैपिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से पुराने और निर्धारित मानकों के तहत पात्र वाहनों को स्कैप कराने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

पुराने और पात्र वाहन को स्कैप कराने वाले वाहन मालिकों को निर्धारित स्कैप मूल्य के साथ-साथ सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली संबंधित रियायतों का लाभ भी मिलेगा। इससे पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में मदद मिलने की उम्मीद है।

हरियाणा पुलिस की नई व्यवस्था का व्यापक उद्देश्य ट्रैफिक नियमों के पालन को मजबूत करना, चालान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और सड़क सुरक्षा में सुधार करना है। डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से चालान जारी करने से लेकर नोटिस, शिकायत और उसके निस्तारण तक पूरी प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा में लाने का प्रयास किया गया है। हरियाणा पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के प्रति अब ढिलाई नहीं होगी। कार्रवाई डिजिटल, समयबद्ध और जवाबदेह होगी, जबकि तकनीक और डेटा आधारित पुलिसिंग के जरिए सड़क हादसों तथा यातायात जाम की रोकथाम पर भी विशेष जोर दिया जाएगा।

पंजाब में मत्स्य पालन क्षेत्र को मिलेगा और बढ़ावा, 55 कर्मचारियों की भर्तीगुरमीत सिंह खुड्डियां ने नवनियुक्त कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र



चंडीगढ़, 6 अक्टूबर: पंजाब सरकार राज्य में कृषि और इससे जुड़े सहायक व्यवसायों को मजबूत करने के साथ-साथ मत्स्य पालन क्षेत्र के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इसी दिशा में पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज मत्स्य पालन विभाग में नवनियुक्त दो कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें एक मल्टीपर्पज फिशर्रीज स्किल्ड वर्कर और एक फिशरमैन शामिल हैं।

मछली पालकों को बेहतर तकनीकी सहायता देने पर जोर

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ये नियुक्तियां विभाग को मजबूत करने के लिए वर्ष 2022 से लगातार चलाए जा रहे भर्ती अभियान का हिस्सा हैं। इस अभियान के तहत अब तक मत्स्य पालन विभाग में विभिन्न कैडरों में 55 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों से विभाग की प्रशासनिक, तकनीकी और जमीनी स्तर पर कार्य करने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने नवनियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार मत्स्य पालन क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि विभाग में अधिकारियों, तकनीकी कर्मचारियों और कुशल कामगारों की नियुक्ति से सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी तरीके से मछली पालकों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल विभाग में रिक्त पदों को भरना नहीं, बल्कि मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को बेहतर सेवाएं, तकनीकी मार्गदर्शन और आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाना भी है। योग्य और प्रशिक्षित युवाओं को विभाग के विभिन्न कैडरों में शामिल करने से विभागीय कार्यों में तेजी आने के साथ-साथ मछली पालकों की समस्याओं के समाधान में भी मदद मिलेगी।

मंत्री ने कहा कि पंजाब में मत्स्य पालन और एकाकल्चर के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर और वैज्ञानिक उपयोग करके मछली उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही मत्स्य पालन किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए अतिरिक्त आय का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है।

उन्होंने कहा कि विभाग की क्षमता बढ़ने से टिकाऊ एकाकल्चर पद्धतियों को प्रोत्साहित करने, आधुनिक तकनीकों को अपनाने और मछली उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयासों को और गति मिलेगी। इससे राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

स. खुड्डियां ने कहा कि मत्स्य पालन क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र से जुड़े किसानों और मछली पालकों को समय पर तकनीकी जानकारी, प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए विभागीय ढांचे को मजबूत करना जरूरी है। नई नियुक्तियां इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता मछली पालकों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, जिससे वे आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर उत्पादन और आय दोनों में वृद्धि कर सकें। विभाग द्वारा जमीनी स्तर पर बेहतर समन्वय और मार्गदर्शन उपलब्ध करवाने से छोटे और मध्यम स्तर के मछली पालकों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस अवसर पर पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन विभाग के प्रमुख सचिव श्री राहुल भंडारी ने कहा कि पंजाब मत्स्य पालन विभाग राज्य में एकाकल्चर और मत्स्य पालन के टिकाऊ विकास एवं विस्तार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।



herbegy™

Think pure think herbal

PREMIUM SPICES RANGE

Pure Spice. Rich Flavour.



PURE | AROMATIC | PREMIUM QUALITY

Advertisement

For Dealer Inquiry Contact:

727-515-0015